कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

श्री श्री नारायण — विपक्षी श्री मणिलाल व अन्य

मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 54 / 2021

कार्यवाही विवरण

09/12/2024

–::निर्णय::–

उपस्थितः श्री प्रकाश कुमार चौबीसा अधिवक्ता – प्रार्थीगण
विपक्षीगण – एकपक्षीय

प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम बरोडा, तहसील सलूम्बर में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 852 रकबा 0.03 हैक्टेयर है। इस आराजी नम्बर के पूर्व दिशा में स्थित प्रार्थी के मकान, बाडा इत्यादि पूर्व में विपक्षीगणों को विक्रय किया था जिसकी दोनों विक्रय विलेखों को मिलाते हुये कुल आबादी भूमि करीब 1500 वर्गफीट बिकाव की गई थी जिस पर विपक्षीगणों के मकान बने हुये है। अब विपक्षीगणों के मन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि को लेकर बदनियति उत्पन्न हो गई है। अब विपक्षीगणों के मन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि को लेकर बदनियति उत्पन्न हो गई है और वे प्रार्थी की खातोदारी आराजी नम्बर 852 में अवैध निर्माण करीब 1500 वर्गफीट से अधिक भूमि पर कर रहे है और निर्माण चालु कर दिया है इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः निवेदन है कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे की विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 852 पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करे व न ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनो से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर आदेशिका दिनांक 06–09–2021 को विपक्षीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया आदेशिका दिनांक 02–11–2021 को गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चात पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थनापत्र अनुसार रही।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामल एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णियक्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतित होते है।

अतः आदेशिका दिनांक 06–09–2021 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कि जाती है एवं विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा बरोडा तहसील सलूम्बर मे स्थित प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 852 रकबा 0.03 हैक्टेयर कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य नही करे न ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 09/12/24 को खुले न्यांयालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर